न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 73 सन् 2021

पंजीयन दिनांक– 30.09.2021

1. श्यामलाल पिता हजारीलाल ब्राह्मण निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चितौडगढ

–अपीलांट

विरूद्ध

1. अनिल पिता शांतिलाल ब्राह्मण निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
2. शांतिलाल पिता हजारीलाल ब्राह्मण निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
3. घनश्याम पिता शांतिलाल ब्राह्मण निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
4. कंचन पुत्री हजारीलाल पत्नी कमलेश ब्राह्मण निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चितौडगढ हाल मुकाम मेंदुरिया , तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर, जिला चितौडगढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 49/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2021

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3
3. सुरेशचन्द शर्मा–रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय

दिनांक 01.11.2023

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर मे राजसथान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53–88–188 के अन्तर्गत मौजा बागुण्ड में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पुश्तैनी आराजियात वाद पत्र के चरण संख्या01 अनुसार के सबंध में प्रस्तुत किया गया जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.5.2021 को वादी का वाद डिकी किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी/रस्पोडेन्ट को नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

इस न्यायालय मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश की गयी जिसके लिये धारा-5 कानून मियाद का प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर बहस सुनी गई न्यायहित में उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी को क्षम्य की जाकर अपील अन्दर अवधि दर्ज की गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी मौजा बागुण्ड तहसील भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 321/1 रकबा 17 विश्वा,आराजी नम्बर 574/6 रकबा 10 बीघा कुल किता-2 रकबा 10 बीघा 17 विश्वा कृषि भूमि जो वादी के दादा हजारीलाल के स्वंय के नाम खाते दर्ज है इसी प्रकार आराजी नम्बर 604/1 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा आराजी नम्बर 604/2 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 604/3 रकबा 5 बीघा 8 विश्वा आराजी नम्बर 604/4 रकबा 10 बीघा 4 विश्वा आराजी नम्बर 604/5 रकबा 3 बीघा 10 विश्वा आराजी नम्बर 604/6 रकबा 2 बीघा 15 विश्वा आराजी नम्बर 604/7 रकबा 9 बीघा 16 विश्वा कुल किता-7 कुल रकबा 36 बीघा 7 विश्वा जिसमे वादी के दादा हजारीलाल का 1/6 हिस्सा तथा श्यामलाल अपीलांट के नाम कय 1/4 हिस्सा सम्मिलित है । इसी प्रकार आराजी नम्बर 316/2 रकबा 10 विश्वा आराजी नम्बर 325/2 रकबा 1 बीघा 4 विश्वा आराजी नम्बर 327/4 रकबा 6 विश्वा आराजी नम्बर 303/3 रकबा 1 बीघा 1 विश्वा आराजी नम्बर 331/1 रकबा 2 विश्वा आराजी नम्बर 332/1 रकबा 7 विश्वा आराजी नम्बर 336/1ख रकबा 10 विश्वा आराजी नम्बर 336/3 रकबा 18 विश्वा आराजी नम्बर 340/2रकबा 1 बीघा 3 विस्वा कुल किता-9 रकबा 6 बीघा 1 विश्वा दर्ज रिकार्ड है जो हजारीलाल को बंटवाडे से प्राप्त हुई । इसी प्रकार आराजी नम्बर 324 रकबा 4 विश्वा आराजी नम्बर 327/2 रकबा 1 विश्वा आराजी नम्बर 330/5 रकबा 6 विश्वा आराजी नम्बर 339 रकबा 4 विश्वा आराजी नम्बर 452 रकबा 1 बीघा 6 विश्वा कुल किता-5 रकबा 2 बीघा 1 विश्वा स्थित है उपरोक्त आराजियात जीवन पिता जगन्नाथ की पैतृक सम्पत्ति है वादी जीवन का पडपौत्र होने से जन्म से अधिकार निहित है जीवन के तीनपुत्र हजारी, गोपीलाल, मथरालाल हुये इन तीनो की मृत्यु हो चुकी है हजारीलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 शांतिलाल एवं प्रतिवादी संख्या 02 श्यामलाल है प्रतिवादी संख्या 04 कंचन हजारी लाल की पुत्री होकर वादी की भुआ है हजारीलाल की पत्नी सोहनबाई की मृत्यु दिनांक 19.10.2014 को हो चुकी है इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित आराजियात पैतृक/पुश्तैनी है । हजारीलाल ने अपने जीवनकाल में आराजियात को दो भागो में विभाजित कर आधा हिस्सा 'शांतिलाल को व आधा हिस्साश्यामलाल को दे दिया । कंचनबाई को हजारीलाल ने अपने जीवनकाल में 'शादी करवा कर जेवर एवं नकदी देकर उनका हिस्सा दे दिया कंचनबाई अपने ससूराल की सम्पत्ति पर काबिज होकर काश्त कर रही है कंचनबाई का वादग्रस्त सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं रहता है तथा आराजियात किता 7 रकबा 36 बीघा 7 विश्वा में 'श्यामलाल के नाम 1/4 हिस्सा गावर्धनलाल पिता रूपा एवं सुन्दर बेवा चंपा से उनका 1/4 हिस्सा कय किया जिसका सम्पूर्ण पैसा हजारीलाल ने अदा किया इसलिये उक्त आराजियात शामील शरीफ होकर

संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति होने से 'श्यामलाल व 'शांतिलाल का 1/2, 1/2 हिस्सा था इस प्रकार वादी हजारीलाल की सम्पत्ति में 'शांतिलाल के बनने वाले 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा बनता है इसलिये वादीगण को उसी अनुसार खातेदार काश्तकारी घोषित जावे ।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का सूचना पत्र प्रोपर तामील नही होते हुये भी गलत रूप से प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही करते हुये साक्ष्य व सबूत लिये बिना ही कोराना काल सम्पूर्ण राज्य लोकडाउन के दौरान जो निर्णय पारित कियागया जो न्यायसंगत नहीं है । अंत में उन्होने अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण को पुनःगुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस निवेदन कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटीस जारी हुये जिसमें तामील कुनिन्दा ने प्रतिवादीगण के द्वारा सम्मन लेने से इन्कार का रिपोर्ट करते हुये खुले मकान की चस्पानंगी बताई जब अधीनस्थ विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन के चस्पांनगी को कोई आदेश होना नहीं पाया जाता है बिना आदेश के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेट संख्या 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही करते हुये निर्णय व डिक्री पारित की वाद पत्र में बंटवाडे की दाद भी चाही गयी थी जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने निर्णय के पूर्व बंटवाडे की दाद विड्रो की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा परित निर्णय व डिक्री सहवनीय नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 49/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.6.2021 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निदेशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलांर्थी प्रतिवादी के द्वारा अपील के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज के परिपेक्ष्य मे उभयपक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 1.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ मु0उदयपुर